न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
19 / 2012 / प्रा.पत्र / 2012	28.05.2012	16.05.2022

मदनलाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक ..... प्रार्थी

बनाम

श्री चर्तुभुज गुर्जर पुत्र श्री सुवालाल गुर्जर (दूध विक्रेता) निवासी रूपाहेली तह. मालपुरा जिला टोंक

..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार उपस्थित।
2–अभिभाषक अप्रार्थी श्री संजय चौधरी।

:–निर्णय–: दिनांक 16.05.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 10.03.2012 को समय प्रातः 08:15 पर जांच दल के साथ अजमेर रोड चौराहा मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। उस समय वहां पर मोटर साइकिल पर दो केन लोहे के लगभग 30–30 लीटर मात्रा वाले दूध से भरे हुये को एक दूध विक्रेता आम जनता को वास्ते विक्रय हेतु लेकर मालपुरा शहर की तरफ आ रहा था को रूकवाकर अपना परिचय दिया एवं उनसे परिचय लिया जिस पर विक्रेता ने अपना नाम श्री चर्तुभुज गुर्जर पुत्र श्री सुवालाल गुर्जर (दूध विक्रेता) निवासी रूपाहेली तह. मालपुरा जिला टोंक होना बताया।

आवेदक द्वारा श्री चर्तुभुज गुर्जर पुत्र श्री सुवालाल गुर्जर की मोटर साइकिल पर लटके 2 लोहे की केन में रखे हुए दूध का निरीक्षण कर पूछने पर विक्रेता ने केन में **सपरेटा दूध (SKIMMED MILK)** होना बताया जिसे देखने पर मिलावट की शंका होने पर श्री चर्तुभुज गुर्जर को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर दोनों प्रतियों में विक्रेता श्री चर्तुभुज गुर्जर व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **सपरेटा दूध (SKIMMED MILK)** वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किए जा रहे हैं, 2 लीटर खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक ने खरीदशुदा 2 लीटर **सपरेटा दूध (SKIMMED MILK)** के बराबर–बराबर चार भाग तैयार कर चार साफ एवं सूखी कांच की बोतलों में भरकर प्रत्येक बोतल में 40–40 बूंद परीरक्षक फार्मेलिन डालकर एयर टाइट ढक्कन बन्द किया। चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबल पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–304 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता श्री चर्तुभुज गुर्जर तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप न. आई–304 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येंक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक 1307 दिनांक 10.04.2012 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/388/एफएसएसए/2012/344दिनांक 28.03.2012 के अनुसार विक्रेता श्री चर्तुभुज गुर्जर से वास्ते मानक स्तर की जांच कराने हेतु कय किया गया **सपरेटा दूध (SKIMMED MILK) सब–स्टैण्डर्ड (Sub-standard)** स्तर का होना पाया गया। प्रकरण में अप्रार्थी **सब–स्टैण्डर्ड (Sub-standard)** स्तर का **सपरेटा दूध (SKIMMED MILK)** का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 14.09.2012 को एडवोकेट श्री संजय चौधरी ने वकालतनामा पेश कर जवाब, साक्ष्य व बहस हेतु समय चाहा। परन्तु कई अवसर देने के बावजूद भी कोई जवाब पेश नहीं किया गया है। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **सपरेटा दूध (SKIMMED MILK)** का विकय कर रहे थे वह जांच में स्तर **सब–स्टैण्डर्ड (Sub-standard)** का होना पाया गया है, इसलिए अप्राथी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **सपरेटा दूध (SKIMMED MILK)** नमूना जांच में **सब–स्टैण्डर्ड (Sub-standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अन्तर्गत जुर्माना की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री चर्तुभुज गुर्जर पुत्र श्री सुवालाल गुर्जर (दूध विक्रेता) निवासी रूपाहेली तह. मालपुरा जिला टोंक पर शास्ति रूपये 50,000 (अक्षरे पचास हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 16.05.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। निर्णय की प्रति अप्रार्थी एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(नरेशुसम धानिका)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0